



बिहार BIHAR

8039 28917 5000 191

762835

Serial No. 10631

Deed No. 9561

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **06/10/2017** by **Raja Jee**

A Stamp Duty of Rs. **514200/-** and other Fees of Rs. **21500/-** has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. **9561** in Book No. **1**, Volume No. **219** on pages from **235** to **249** and has been preserved in total **15** pages in C.D. No. **34** / Year **2017**

Date: 06/10/2017

Token No: 11115/2017

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Patna

SCANNED BY

विकास कार्य (एकरारनामा)

यह एकरारनामा जमीन के विकास एवं बहुमंजली भवन निर्माण संबंधी है जो आज दिनांक **06/10/2017** को विभिन्नित पक्षकारों के बीच करार किया गया है।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Arromo) Kumar Director

1. लेखकारीगण का नाम एवं पूरा पता :-

1. श्री राजा जी पिता स्वरूप कुरुदयाल
2. श्रीमती रेमा दयाल धर्मपत्नी स्वरूप राजन दयाल

दोनों निवासी महल्ला - न्यू एरिया जक्कनपुर, थाना - कोतवाली, हाल थाना - जक्कनपुर, जिला - पटना, जमीन मालिक, भारतीय नागरिक जिसमें इनके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधित्व, इत्यादि समिलित हैं, जिसे आगे प्रथम पक्ष भू-स्वामी कहा गया है। (प्रथम पक्ष)

लेखकारी नं०-१ का PAN-ACAPJ9143M

लेखकारी नं०-२ का PAN-BCGPD2501J

Mobile No.- 7073441122

2. लेख्यार्थी का नाम एवं पूरा पता :-

साई कलश होम्स प्राप्ति लिंगो (Sai Kalash Homes Private Limited) जिसका कार्यालय फ्लैट नं०-१४, एन.पी.सेक्टर, न्यू डाकबंगला रोड, पटना-८००००१, जो कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत संचालित है जिसका निबंधन सं०-U45400BR2015PTC025207 है जिसका निदेशक श्री अरविंद कुमार पिता स्वरूप जीवीशर्मा, निवासी महल्ला -४४, हनुमान नगर पुनार्इचक, पटना-८०००२३, जिला - पटना वो कार्यकारी निदेशक श्री बर्वीन कुमार पिता श्री महेन्द्र प्रसाद, निवासी महल्ला - रागिनी पैलस रोड नं०-१ए/५१, शिवपुरी, थाना - शास्त्रीबंगर, जिला - पटना, विकासकर्ता/डेम्पर्स। (इनके उत्तराधिकार कानूनी प्रतिनिधित्व, इत्यादि समिलित है) जिसे आगे द्वितीय पक्ष को (विकास कर्ता) डेम्पर्स कहा गया है। (द्वितीय पक्ष)

PAN-AAWCS4186Q

Mobile No.- 9431491911

3. लेख्य प्रकार :-


विकास कार्य एकारानामा (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट)

4. मूल्यांकन :-

मोरों २,५७,०५,०००/- (दो करोड़ संतावन लाख पाँच हजार रुपये) मात्र।



रेमा डोयल
 6.10.17
 रेमा डोयल
 एकारानामा
 पर्याप्त
 29 अक्टूबर 2017
 राजन दयाल
 अप्रृष्ट
 अभियंता
 अभियंता
 अभियंता
 अभियंता
 अभियंता
 अभियंता



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.

Arvind Kumar

Director

6/10/17

5. विवरण विकास कार्य सम्पति:-

हमगी वो तमामी मवाजी 7 कट्ठा (सात कट्ठा) यानि 21.875 डिसमिल, एराजी आवारीय परती भूमि जो मौजा - जगजीवनपुर उर्फ जवकनपुर, थाना - कोतवाली, हाल थाना - जवकनपुर, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफीस वो जिला - पट्टना, जिसका थाना नं० - 29 (उन्नीस), तौजी नं० - 133 (एक सौ तेसीस), खाता नं० - 20 (बीस), सर्वे प्लैट नं० - 30 (तीस) का अंश, वार्ड नं० - 10 (दस), थाना कोड - 155, वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा सर्किल ऑफीसर पट्टना सदर जिसका लगान सलाना मो० 2 रुपया 10 पैसा अलावे शेष है वो पट्टना नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। अव्य विवरण वो दिशान्त निम्न हैः-

चौहटी

उत्तर :- 8 (आठ) फीट चौड़ा सास्ता

दक्षिण :- बाबु विशेश्वर दयाल

पूरब :- बालचन्द महतो वो खखनु महतो

पश्चिम :- मुख्य सइक

मजामील

यह कि जायदाद अंकित थाना सं०-५ वसीका हाजा वजरीये वसीका केवाला वैय मुतसदके रजिस्ट्री मरकुमा तारीख 13.11.1953 ई०, नवीस्ते बाबु ईश्वर दयाल पिता स्व० मुंशी शिव चरन लाल, निवासी ग्राम - उत्तरनावा, थाना - बिहार, जिला - पट्टना वो बादहू निवासी महल्ला - विरैयाटौँड खास महाल, थाना - कोतवाली, जिला - पट्टना से बाबु अकुर दयाल वर्ल्ड स्व० मुंशी शिव चरण लाल, साकिन - उत्तरनावा, थाना - बिहार, जिला - पट्टना वो बादहू निवासी - साहेबगंज, थाना - साहेबगंज, जिला - संथाल परगना ने मवाजी 3 (तीन) कट्ठा एराजी खरीद किया है जिसका बुक नं०-१, जिल्द नं० - 65, पेज नं० - 162 से 165 तक, वसीका नं०-6941, सब 1953 ई०, रजिस्ट्री ऑफीस पट्टना है वो दूसरा वसीका मरकुमा

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Anmol Kumar
Director

6/10/17

Rama Dutt
6/10/17

तारीख 29.07.1940 ई०, नवीस्ते मिरखुन महतो पिता स्व० शिव महतो, निवासी ग्राम - जवकनपुर, थाना - फुलवारी, जिला - पटना से बाबु ठाकुर दयाल पिता स्व० बाबु शिवचरन लाल, निवासी ग्राम - उत्तरनामा, थाना - बिहार, जिला - पटना वो हाल मोकाम - गर्दबीबाग, थाना - कोतवाली, जिला - पटना वे खरीद किया है जिसका बुक नं०-१, जिल्ड नं०-६८, पेज नं०-२५० से २५३ तक, वसीका नं०-४५८४, सन् १९४० ई०, रजिस्ट्री ऑफीस पटना है। जिसमें गलती से प्लौट नं०-३४ दर्ज हो गया जो बिल्कुल गलत है जिसका मरकुमा तारीख 26.8.1955 ई० को बनाम वो वहक एक किता वसीका तितिनामा तहनीर किये हैं जिसका बुक नं०-१, जिल्ड नं०-६५, पेज नं०-१३० से १३१ तक, वसीका नं०-५५३७, सन् १९५५ ई०, रजिस्ट्री ऑफीस पटना है वो तारीख खरीदारी से बाबु ठाकुर दयाल कविज दण्डिल मालिक मुस्तकिल रहते चले आये। बाद अजां बाबु ठाकुर दयाल वगुजास्त अपने दो पुत्र राजा जी (लेख्यकारी नं०-१) वो राजन दयाल को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद अजां राजन दयाल वगुजास्त अपने धर्मपत्नी रेमा दयाल (लेख्यकारी नं०-२) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये वो तमामी सम्पति पर लेख्यकारीगण राजा जी वो रेमा दयाल बिना सिरकत किसी दूसरो के भू-स्वामी के हैसियत से कविज दण्डिल मालिक मुस्तकिल रहते चले आते हैं वो हैं। वो नाम लेख्यकारीगण का वसिस्ते जमीनदारी बिहार सरकार जमाबंदी नं०-४ पर दर्ज है वो हर प्रकार के स्वत्व दोष ऋणभार से मुक्त है। इस प्रकार लेख्य सम्पति का अन्तरण वो किसी प्रकार का एकराखनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

यह कि उक्त विकास सम्पति लेख्यकारीगण का खरीदारी सम्पति है जिसे लेख्यकारीगण (जमीन मालिक) ने लेख्यधारी भवन निर्माण कर्ता भू-विकासक को सशर्त भूमि का विकास करने एवं देने पर सहमति हुये और लेख्यधारी द्वितीय पक्ष भवन निर्माता एवं भू-विकासक भी उसपर विकास करने को वो बहुमंजिला भवन निर्माण



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Ahmed Kumar
Director


Roma Moyal
6/10/17

6/10/17

करने पर सशर्त राजी हुये और दोनों पक्षों की सहमति हुई कि एक विलेख एकरानामा सभी तथ्य सुदे शर्तों को ध्यान में करते हुए निष्पादित किया जाय।

अतएव बिभांकित शर्तों के साथ इस एकरानामा का विष्यादान करना आवश्यक हुआ। इस एकरानामा का शर्त निभांकित है जो दोनों पक्षों के हक एवं इस एकरानामे को किसी भी एक पक्ष के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। एकरानामा के शर्त जमीन मालिक प्रथम पक्ष के द्वारा लेख्यधारी द्वितीय पक्ष भू-विकासक को लेख्य के आना नं ०-५ में वर्णित भू-आण्डो को विकास करने वो बहुमंजिला भवन बनाने हेतु अधिकार दिया गया है और निम्नलिखित शर्त के अनुसार पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विधित) पटना बगर निगम के द्वारा अनुमोदित नक्शे पास करायेंगे उसके संशोधन एवं प्राक्कलन या उसके संशोधन के प्रावृष्ट के अनुसार पूर्ण रूप से या संशोधन वे अपने खर्च कर भवन का निर्माण करेंगे और स्वत्वधारी लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष पर उस निर्माण कार्य से अन्त तक एक पैसा भी दैय करने की पाबंदी नहीं होगी।

यह कि उक्त जमीन मालिकगण वो भू-विकासक के बीच उक्त जमीन जिसपर बहुमंजिली इमारत द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण किया जायेगा का हिस्सेदारी ४५ प्रतिशत जो जमीन मालिक के हिस्से का होगा और ५५ प्रतिशत विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का होगा जो अपने-अपने हिस्से की फ्लैट के बिक्री अपने-अपने स्तर से करेंगे इसमें एक दूसरे की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा पार्किंग में दोनों ४५-५५ प्रतिशत का हकदार होंगे।



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Ammal Kumar
Director

Renuka Mehta
6.10.17

Vijay
6/10/17

यह कि उक्त बहुमंजली इमारत की समय अवधि नवशा पास होने के बाद 3 साल 6 महीना के अंदर तय होगा और इसके अलावे 6 माह की अवधि गेस की अवधि होगी। जफा नुकसान को सोच-समझ कर कानूनी सलाहकारों से राय-मशविरा लेकर निम्नलिखित शर्तों पर तहरीर एकरार करते हैं।

1. यह कि दोनों पक्षों के बीच तय पाया गया परिशिष्ट-1 में वर्णित जमीन पर आवासीय बहुमंजली भवन निर्माण किया जाय।
2. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण हेतु संरचना का नवशा वास्तुविद से स्वयं करायेंगे और इसमें होने वाले ऊर्च का पूरा वहन करेंगे। साथ ही नवशा को पट्टा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के स्वीकृति लेने में जो भी ऊर्च आयेगा उसे भी द्वितीय पक्ष ही वहन करेंगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा नगर निगम द्वारा स्वीकृत नवशो में किसी प्रकार विचलन नहीं करेंगे। अगर द्वितीय पक्ष इमारत बबाने में किसी तरह का विचलन करेंगे या कानूनी व्यवधान उत्पन्न होगा, उसकी पूरी जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष पर होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष वास्तुविद से प्रस्तावित नवशा बनवा कर पट्टा नगर निगम से नवशो की स्वीकृति मिलने के बाद तीन साल छः महीना के अन्दर नवशो के अनुरूप भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लेंगे। नवशा पास करने में प्रथम पक्ष के द्वारा सभी कागजात उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि किसी अप्रत्याशित कारण या ग्राकृतिक विपदा के कारण भवन निर्माण का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका तो अतिरिक्त 6 (छ) माह का समय भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए दिया जायेगा।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Nirmal Kumar
Director

Renuka
6/10/17

6/10/17



5. यह कि पक्षकारों के बीच यह निर्णय हुआ कि प्रथम पक्ष को उपरोक्त बहुमंजली इमारत की 45 प्रतिशत हिस्सा होगा और द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) का इमारत में 55 प्रतिशत होगा, जो सभी तथ्यों के साथ-साथ कॉमन जगहों पर भी लागू होगा।

6. यह कि दोनों पक्ष को उपरोक्त भवन में अपने-अपने मिले हुये हिस्से पर पूर्ण स्वामित्व होगा, दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से में मिले फ्लैट की बिक्री कर सकते हैं या किराया लगा सकते हैं या स्वयं रख सकते हैं, इसमें किसी पक्ष को एतराज नहीं होगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्माण संबंधी कार्य के समय या किसी भी ग्राहक को ऋण लेने के समय वित्तीय संस्थान या बैंक को अनापत्ति पत्र चाहिए उस समय प्रथम पक्ष विकासकर्ता को मुहैया करेंगे जो भी रकम कर्ज के माध्यम से प्राप्त होगा रकम की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष ही लेंगे और किसी कारण बस उस कर्ज की अदायगी नहीं हो पायी तो उस स्थिति में विकासकर्ता के चल-अचल सम्पत्ति से वसूल किया जायेगा।

8. यह कि द्वितीय पक्ष ने आश्वस्त किया कि भवन निर्माण नक्शा पट्टना बगर निगम से स्वीकृत होगा उसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे और अपने-अपने हिस्से का विभाजन पट्टना बगर निगम द्वारा स्वीकृत निर्माण एसिया पर ही होगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष वे द्वितीय पक्ष को एक हक प्रदान किया है कि प्रस्तावित निर्माण की बनावट में तैयार कमी-वेशी सक्षम पदाधिकारी के निर्देशानुसार उपरोक्त सम्पत्ति पर कर सकते हैं। वहाँ पर इससे सम्बन्धित अपने नाम का आवेदन माव्यता के लिए किसी भी कार्यालय में दे सकते हैं और अब्य जलूरत मंद कार्य सम्बन्धी कर सकते हैं अपने हस्ताक्षर से करें।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Rajesh Kumar
Director

Rajesh Kumar
6-10-14

11/11/17

11. यह कि प्रथम पक्ष ने यह आश्वासन दिया है कि परिशिष्ट-1 में वर्णित सम्पति साफ सुथरी है, तथा हर प्रकार के स्वामित्व दोष एवं ऋणभार से मुक्त है वो बुक्स हकियत, वारदैन से पाक साफ है, वो इस जमीन पर किसी प्रकार का एकरानामा किसी दूसरे पक्ष के साथ नहीं किया गया है। तथा किसी दूसरे पक्ष का हक नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार व्यवधान होगा तब प्रथम पक्ष अपने खर्च से इसका समाधान करेंगे, जिसमें द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, इस कारण भवन निर्माण में जो देरी होगी उतना समय और बढ़ा दिया जायेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष समय सीमा के अन्दर भवन निर्माण कर प्रथम पक्ष को उनके हिस्से का फ्लैट सौंप देंगे। अगर समय के अन्दर भवन का निर्माण करके फ्लैट जमीन मालिक को नहीं सौंपते हैं तो उस स्थिति में 6 (छ) माह का समय ग्रेस के रूप में द्वितीय पक्ष विकास कर्ता को दिया जायेगा।

13. एफीमेंट के बाद विकास कर्ता अपना बोर्ड लगा सकता है, ऑफीस रख सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं।

14. यह कि ताजा मापी के अनुसार जो जमीन प्राप्त होगा उसी जमीन पर भवन निर्माण होगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष भवन निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालयों में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए अगर जल्दत हुआ तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अपना मुख्तारनामा देंगे।

16. यह कि निर्धारित अवधि के अंदर विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) इस एकरानामा सम्पति पर विकास कार्य कर देंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में प्रथम पक्ष जमीन मालिक इस एकरानामा सम्पति को रद्द करने का अधिकार होगा।

Rome Dayal
6.10.17

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Armand Kumar
Director

6/10/17



17. निर्माण कार्य के दौरान फिनिशिंग निम्न प्रकार से होगा :-

- 1) भवन निर्माण में प्रयुक्त पक्का ईंट का होगा।
- 2) आंतरिक - दीवाल प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटींग होगा।
- 3) रसोई घर एवं शौचालय का फर्श मार्बल वेरिफाइट टाईल्स होगा तथा दीवाल आदश्यकतानुसार ग्लैज टाईल्स चिपकाई जाएगी एवं किवेन प्लेटफार्म ग्रीन मार्बल का होगा।
- 4) बेड-रूम, ड्राईंग रूम का फर्श वेरिफाइट टाईल्स होगा।
- 5) सीढ़ी पैसोज का फर्श करप्पा या कोठा पत्थर का होगा।
- 6) दरवाजा का मेन प्रेम लकड़ी और दरवाजा (शटर) प्लाई बोर्ड का होगा।
- 7) सभी खिड़की लकड़ी प्रेम युक्त ग्लास होगा।
- 8) बाहर की सभी दीवारे वाटरप्रूफ रंगीन सिमेंट पैट होगा।
- 9) विद्युत कार्य में प्रयुक्त समान अच्छे किस्म के होंगे यानी सभी आई.एस.आई के होंगे।
- 10) सेबेटी तथा जल प्रवाह हेतु सभी पाईप और फिटिंग I.S.I. (आई०एस०आई०) मानक के होंगे।
- 11) टेलीफोन तथा इन्टरकॉम की वायरिंग प्रत्येक फ्लैट में एक पोआइंट दी जाएगी।
- 12) प्रत्येक फ्लैट के मास्टर बाथरूम में गरम तथा ठंडा पानी के लिए पाईप की व्यवस्था रहेगी।
- 13) अपार्टमेंट बनाने के समय जो बिजली लगेगा वह कम्पनी यानी द्वितीय पक्ष के नाम से होगा साथ ही उसका बिल कम्पनी भुगताव करेगे।
- 14) लिफ्ट लगाने की व्यवस्था रहेगी।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Anmol Kumar
Director

Kumar Jayalal
6/10/17

6/10/17

- 15) अपना बोरिंग किया जायगा।
- 16) अपार्टमेंट में बिजली की व्यवस्था की जायेगी।
- 17) जेनरेटर की व्यवस्था रहेगी।
- 18) भवन निर्माण के समय मजदुरों या अन्य किसी को कोई दुर्घटना होती या किसी प्रकार का व्यवधान है तो उसकी सारी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 19) बहुमंजली ईमारत का नाम “दयाल इन्क्लेव” होगा।


18. बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 के तहत भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् संबंधित अंशधारक यथा-विकासकर्ता/ प्रवर्तक तथा भू-स्वामी अपने हिस्से के पूर्ण स्वामी होंगे तथा उन्हें तथा उन्हें अपने अंश को अलग से बेचने (हस्तांतरित करने इजारा/ गिरवी) दाव करने का/ विक्रय पत्र करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह विकास एकरानामा बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 के तहत ही तैयार किया गया गया है।

परिशिष्ट-1

सम्पूर्ण सम्पति का विवरण :- मवाजी 7 कट्ठा (सात कट्ठा) यानि 21.875 डिसग्लिल, मौजा - जगजीवनपुर उर्फ जवकनपुर, याना - कोतवाली, हाल याना - जवकनपुर, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफीस वो जिला - पट्टा, जिसका याना नं० 29 (उन्नीस), तौजी नं० 133 (एक सौ तीस), खाता नं० 20 (बीस), सर्वे प्लौट नं० 30 (तीस) का अंश।

चौहदी

- उत्तर :- 8 (आठ) फ़ीट चौड़ा रास्ता
- दक्षिण :- बाबू विशेश्वर दयाल
- पूरब :- बालचन्द महतो वो खानु महतो
- पश्चिम :- मुख्य सइक



Roma Shyam
6-10-17

6-10-17

जवाहण का हस्ताक्षर

1. Madhumita Prasad
 W/o Rajeev (1) *[Signature]*
 New Jakkanpur 6/10/17
 D.V.C crossing (2) Rema Sayal
 P.S - Jakkanpur 6/10/17
 At present Partner - 1

2. 17E/260 CHB
 JODHPUR
 (RAJASTHAN)
 6-10-2017
 =

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षरद्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.

Anind Kumar
Director

2. Ranjeet Singh
 Shri Pathvi Singh
 Plot no - 140A, Phase - I
 Ashiana Nagar
 Patna - 25

① *[Signature]*
 6/10/2017


टंकणकर्ता

मुन्ना कुमार
 (मुन्ना कुमार)
 पट्टा समाहरणालय,
 पट्टा।

प्राप्तपक्ति

सुनील प्रसाद
 टाइसेन्सनो - 46103
 (सुनील प्रसाद)
 अधिवक्ता
 सिविल कोर्ट, पट्टा।

Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
 Anind Kumar
Director



[Signature]
 6/10/17

सभी प्रत्येक विवरण वास्तविक है।

[Signature]
 6/10/17


Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 514200/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 530700/-
Registration Fee			
FEE PAID	A1 1000 C 0 H1b 0 K1a 0 Lii 0 A8 0 D 0 H2 0 K1b 0 Liii 0 A9 0 DD 0 I 0 K1c 0 Mb 0 A10 0 E 20000 J1 0 K2 0 Na 0 B 0 H1a 0 J2 0 Li 0	LLR + Proc Fee	Service Charge
		LLR 0 Proc.Fee 0 Total 0	500
		TOTAL- 21000	


Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Date: 06/10/2017


Registering Officer
Patna


Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 06th October 2017 by Raja Jee Late Thakur Dayal by profession Others. Status - Executant



Signature/L.T.I. of Presentant


Date:06/10/2017


Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Madhumita Prasad' age '49' Sex 'F', 'Raja Jee', resident of '17-E-260 Chaupasani Housing Board, Jodhpur, Rajsathan'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 06/10/2017


Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60


Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 219 on pages on 235 -249, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-34 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 06/10/2017



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Arvind Kumar
Director
Registering Officer
Patna

Token No. : 11115 Year : 2017 S.No. : 10631 SCORE Ver.4.1 Deed No .:d No . : 9561



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Anmol Kumar
Director



Sai Kalash Homes Pvt. Ltd.
Kumar
Xomd
Director